

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
 पत्रांक २५६५ / २-६ दिनांक, देवरिया, अप्रैल २० / 2024
 सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
 गोरखपुर मण्डल,
 गोरखपुर ।

- विषय :-** जनपद—देवरिया में सोनौली—बलिया मार्ग एस०एच०-१ कि०मी० 153 से 154 के मध्य ग्राम—अहिलवार बुजुर्ग, तहसील—सदर जनपद—देवरिया में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 है० संरक्षित वन भूमि को बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।
सन्दर्भ :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं लवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० ८० लखनऊ के पत्र संख्या—२११२/११—सी—एफ०पी०/ यू०पी०/अन्य/ १६१३४ / २०१५ दिनांक २२.०२.२०२४ ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त विषयक पेट्रोल पम्प के प्रस्ताव में कमियों का निराकरण कर आख्या निम्न प्रकार हैः—

क्र० सं०	आपत्ति	उत्तरालेख
१	ऑन लाईन पार्ट—।। के क्रमांक—४ में हरियाली घनत्व ०.०४ अंकित है। जबकि एन०पी०वी० की गणना में ०.४ है। अतः सही हरियाली घनत्व ०.४ ऑन लाईन—पार्ट—२ में फीड करे तथा हिन्दी भाग—२ में सही हरियाली घनत्व ०.४ अंकित कर ऑन लाईन अपलोड करें।	ऑन लाईन पार्ट—।। के क्रमांक—४ में हरियाली घनत्व ०.०४ अंकित है। जबकि एन०पी०वी० की गणना में ०.४ है। हरियाली घनत्व ०.४ ऑन लाईन—पार्ट—२ में फीड कर दिया गया है तथा हिन्दी भाग—२ में सही हरियाली घनत्व ०.४ अंकित कर ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

४८

भवदीय

R. J. Jaiswal
 (जगदीश आर)
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

योजना/स्कीम का स्थान	सोनोली—बलिया मार्ग एस०एच०-१० कि०मी० 153-154 के नद्य एस्सार आर्यैल लिमिटेड द्वारा गाठा संख्या—५४७ मी० ग्राम—अहिलवार बुजुर्ग तड़पील—सदर, जनपद—देवरिया में पेट्रोल पम्प की स्थापना में एप्रिल मार्ग हैतु ०.०७५०२८ है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन हैतु गेर यानिकी प्रयोग के अनुमति के सम्बन्ध में ।
I—राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उ०प्र० राज्य
II—जिला	देवरिया
III—वन प्रमाण	सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
IV—वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	०.०७५०२८ है०
V—वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
VI—प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिवेश श्रेणीवार छान्हों की परिचयना (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एफ०आर०एल०-४ भीटर भी संलग्न किये जाय।	—
VII—हरियाली का घनत्व	०.४
VIII—मूलरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता का संक्षिप्त विवरण	लागू नहीं
IX—वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमति दूरी	०.००
X—वया फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वया जीव अव्याख्या, जीवमण्डल, रिजर्व वाद्य, रिजर्व डार्शी कारीडॉर आदि का भा है (यदि हों क्षेत्र का व्योरा और प्रमुख वन्य जीव बार्डर की विवरणों अनुमित्य की जाय)।	रिक्त है।
XI—वया क्षेत्र में वनस्पति और प्राक्षिण्यगत की दुलर्म/सकिटापन/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हों तो सत्सम्बन्धित व्योरा दें ?	नहीं
7—वया कोई सुरक्षित पुरातातीय/पारम्परिक सील/रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र स्थित हैं। यदि हों तो तत्प्रथमी व्योरा सक्षम प्राविकरण से उनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो तो ।	नहीं
8—प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा माग—१ कालम—२ में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांच गये विकल्पों के व्योरों के साथ सदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है।
9—वया अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हों/नहीं) यदि हो तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्योरा दें क्या उल्लंघन कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10—प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्योरा	संलग्न है।
(I) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिवारित क्षेत्र/अवक्षित वन क्षेत्र और आस—पास के वन से इसकी दूरी मू—खण्डों की संख्या—प्रत्येक मू—खण्ड का आकार	लागू नहीं
(II) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिवारित वनेतर/अवक्षित वन क्षेत्र और आस—पास के वन सीमाओं को दर्शाता नैप	रिक्त।
(III) सोपिल की जाने वाली प्रजातियाँ सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत दाढ़ा आदि	रिक्त।
(IV) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये स्कीम के लिये कल वित्तीय परिव्यय	रु० 165770.00
(V) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिवारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राविकार से प्रमाण—पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा छस्त्रारित किया जाय)	रिक्त।
11—जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम—७(XI,XII) ८ से ९ में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12—विभाग/जिला प्रोफाइल	साठ०प्र०मा०ग, देवरिया, जनपद—देवरिया मो० न० 7839435132
(I) जिले का नौगोलिक क्षेत्र	2527.20 वर्ग कि०मी० या 2527200.00 है०
(II) जिले का वन क्षेत्र	264.345 है०
(III) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	23 / 160.1626 है०
(IV) 1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	—
(V) वनेतर भूमि पर	—
(क) वन भूमि पर	रिक्त
(ख) वनेतर भूमि पर	56.198 है०
(ख) वनेतर भूमि पर	0.16
13—प्रस्ताव को स्वीकृति करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिपाहिया	प्रस्ताव संस्तुति सहित अप्रेसित।

दिनांक - 20/04/2024

नाम - (जगदीश्वर आर)

स्थान - देवरिया

मुहर - प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
देवरिया

R. Singh